



डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक 53/फा0सं0-1454/कोविड-19/स्था0/डी.एस.एम.एन.आर.यू./2021-22 दिनांक- 04 मई, 2021

// कार्यालय-आदेश //

प्रदेश में कोविड-19 के तीव्र गति से संक्रमण फैलने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/साप्ताहिक लॉकडाउन की स्थिति में विश्वविद्यालय के आदेश संख्या 48/फा0सं0-1454/कोविड-19/स्था0/डी.एस.एम.एन.आर.यू./2021-22, दिनांक 26 अप्रैल, 2021 द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2021 से दिनांक 01 मई, 2021 तक विश्वविद्यालय बन्द किया गया था।

इसी क्रम में उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ० प्र० शासन के आदेश संख्या-1064/सत्तर-3-2021-08(20)/2020, दिनांक 15 अप्रैल, 2021 में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक संस्थानों हेतु निर्गत दिशा-निर्देश/राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय में दिनांक 04 मई, 2021 से दिनांक 23 मई, 2021 तक ग्रीष्मावकाश घोषित किया जाता है। इस अवधि में आनलाइन कक्षाएं भी स्थगित रहेंगी। परिसर में कोई छात्र, शिक्षक, कर्मचारी अथवा अधिकारी उपस्थिति नहीं होंगे। उक्त अवधि में विश्वविद्यालय पूर्णतया बन्द रहेगा।

इस अवधि में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम स्तर से अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा तथा किसी अपरिहार्य स्थिति में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को कार्यालय में बुलाये जाने पर उन्हें उपस्थित होना होगा।

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश पत्रांक 33/फा0सं0-1454/कोविड-19/स्था0/डी.एस.एम.एन.आर.यू./2021-22, दिनांक 08 अप्रैल, 2021 द्वारा निर्गत अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पुष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

- 1- मा० कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
- 2- वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
- 3- परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
- 4- समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष।
- 5- समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
- 6- चीफ प्रोवोस्ट/अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट, महिला एवं पुरुष छात्रावास।
- 7- समस्त शिक्षकवृन्द, विश्वविद्यालय।
- 8- समस्त कर्मचारीगण, विश्वविद्यालय।
- 9- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 10- सम्बन्धित सेवा प्रदाता एजेन्सी, विश्वविद्यालय।
- 11- गार्ड फाइल।

04/05/21
(डॉ० ए० के० सिंह)
उप कुलसचिव